न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम अतर वगैरा बनाम रतन वगैरा मु. सं. 73/19

दिनांक 24–02–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

वादीगण अतर बदन वगैरा जाति जाटव निवासी गहनौली ने प्रतिवादीगण रतन किशन वगैरा जाति जाटव निवासी गहनौली के विरूद्ध वाद पत्र बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि ग्राम गहनौली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 291/0.09, 1344/1.30 कुल किता 2 रकबा 1.39 हैक्टयर वादीगण की पैत्रिक व विरासत में मिली हुई भूमि है। वादग्रस्त आराजीयात से अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 291 की भूमि में अतिक्रमण कर पाटौल व पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में बदल कर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण हटाने से इन्कार कर दिया है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जोव।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया । इसके बाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा.दी. इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण को बेदखल करने का चाहा गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादीगण को अतिचारी माना है। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। जिनकी जमीन से अतिचारियों को बेदखल करने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) में निर्धारित है। प्रकरण का सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर तहसीलदार को प्राप्त है। क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद